बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ0 बजट–आवंटन–32/2014–208 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 06-01-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को गैर योजना मद में वेतन, वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में पूर्व में 4 महीनों के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त वर्ष के अवशेष 8 महीनों के लिए वेतन मद में 5750.00 लाख रूपये वेतनादि के अलावा मद में 600 लाख रूपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 200 लाख रूपये कुल 6550.00 लाख रूपये (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹65,50,00,000 (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–5882 दिनांक–29.12.2014 द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को गैर योजना मद में वेतन, वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष, 2014–15 में पूर्व में 4 महीनों के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त वर्ष के अवशेष 8 महीनों के लिए वेतन मद में 5750.00 लाख रूपये वेतनादि के अलावा मद में 600 लाख रूपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 200 लाख रूपये कुल 6550.00 लाख रूपये (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत् व्यय हेतु कुल ₹65,50,00,000 (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपयें)) मात्र {(विषयशीर्ष–31 04–सहायक अनुदान वेतन मद में ₹57,50,00,000 (सन्तावन करोड़ पचास लाख रू०) मात्र, विषयशीर्ष–31 05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में 2,00,00,000 (दो करोड़ रू०) मात्र एवं विषयशीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि अलावा मद में ₹6,00,00,000 (छः करोड़ रू०) मात्र} अर्थात कुल ₹65,50,00,000 (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹65,50,00,000 (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–277–शिक्षा–मांग सं०–01–उपशीर्ष–0008– बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को, विपत्र कोड–N2415012770008, कें अंतर्गत् {(विषयशीर्ष–31 04–सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित ₹86,25,00,000 विषयशीर्ष–31 05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित ₹3,00,00,000 एवं विषयशीर्ष– 31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित ₹9,00,00,000)} वित्तीय वर्ष, 2014–15 में उपबंधित कुल ₹98,25,00,000 (अनठानवे करोड़ पच्चीस लाख रू०) में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–6720 वि0 (2) दिनांक–25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

06/01/15

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Rashmi dt-27.08.2014.doc

ज्ञापांक 208 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 06-01-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/01/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 208 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 06-01-, 2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट–शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

06/01/15

सरकार के संयुक्त सचिव।